1242

नि०–921–I–16

न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक .... /2016

पुनरीकक्षणकर्ता/आवेदक – **श्री अमर सिंह गौंड़** उम्र 52 वर्ष पिता श्री रति राम गौंड़
निवासी– 29, ग्राम टीगन थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर
Adhar No. 2190 1591 0336

विरुद्ध

उत्तरवादी/अनावेदक – **(1) श्री भवानी सिंह चौधरी** उम्र 40 वर्ष पिता स्व. एम. एस. चौधरी
निवासी– प्लाट नं. 89, नवनिवेश कालोनी गंगानगर, जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 4388 5746 5097
(2) मध्यप्रदेश शासन

16.3.16

16-3-16

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 118/अ–21/2014–15 अमर सिंह गौंड़ विरुद्ध श्री भवानी सिंह चौधरी ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है ।

रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम जमुनिया प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 15/1, रकबा 0.400 हैक्टे., खसरा नं. 41/2 रकबा 0.440 हैक्टे. इस प्रकार कुल रकबा 0.840 हैक्टे. भूमि एवं ग्राम टीगन प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 126, 279, 285, 422, क्रमशः रकबा 1.960 हैक्टे, 0.250 हैक्टे, 2.340 हैक्टे, 0.160 हैक्टे, एवं ग्राम चंदेरी स्थित खसरा नंबर 396, रकबा 0.430 हैक्टे, ग्राम घाटपिपरिया खसरा नंबर 145, 148, 214 क्रमशः रकबा 1.510 हैक्टे, 0.750 हैक्टे, 1.200 हैक्टे, इस प्रकार कुल रकबा 9.440 हैक्टे.याने 23.6 एकड़ भूमि सिंचित/असिंचित भूमि के मालिक काबिज स्वामी है तथा तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है ।
2. यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपरोक्त काश्तकारी भूमि विक्रय करने का अनुबंध पत्र अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के मध्य दिनांक 05.08.2015 को किया था एवं उक्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन धारा 165 (6) सहपठित खंड 2 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर के समक्ष दिनांक 16.09.2015 को प्रस्तुत किया था । जिसका प्रकरण

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 921–एक/2016 निगरानी जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
18-3-16	यह निगरानी कलैक्टर जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 118/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक अमर सिंह गौड़ पुत्र रतिराम गौड़ निवासी 29 ग्राम टीगन तहसील व जिला जबलपुर ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मांग की कि ग्राम जमुनिया में भूमि सर्वे कमांक 15/1 (नया नम्बर 15/4) रकबा 0.400 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 41 (नया नंबर 41/2) रकबा 0.440 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.840 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है इस भूमि के अतिरिक्त उसके पास ग्राम टींगन, चन्देरी, घाटपिपरिया में कुल किता 8 कुल रकबा 9.440 हैक्टर भूमि है। बच्चों की उच्च शिक्षा एंव लड़की की शादी तथा रिहायशी मकान बनाने के लिये उसे रूपये की आवश्यकता है इसलिये वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की जावे। कलैक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण कमांक 118/अ–21/2014–15 पंजीबद्ध किया एंव जांचोपरांत आदेश दिनांक 29–2–2016 पारित करके विकय अनुमति आवेदन खारिज कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक	

निग0प्र0क0921–एक/2016

वादग्रस्त भूमि भवानी सिंह चौधरी पुत्र एम0एस0चौधरी निवासी प्लाट नं. 89 नव निवेश कालोनी गंगानगर जबलपुर को विक्रय कर रहा है एंव विक्रय का अनुबंध भी आवेदक उनके साथ कर चुका है। आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन की जांच कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एंव अतिरिक्त तहसीलदार जबलपुर से कराई है। अति0 तहसीलदार जबलपुर ने स्थल जांचोपरांत प्रतिवेदन 27–1–16 प्रस्तुत कर बताया है कि विक्रय की जाने वाली भूमि पटटे पर प्राप्त भूमि नहीं है। आवेदक वादग्रस्त भूमि विक्रय करके प्राप्त रूपयों से बच्चों की शिक्षा एंव बच्ची की शादी करेगा एंव शेष बची राशि से अन्य भूमि का विकास करेगा। क्रेता विक्रेता वर्तमान चालू गाईड के मान से अंतरण कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि विक्रय के वाद आवेदक के पास 8.60 हैक्टर भूमि शेष बचेगी अर्थात आजीविका का पूर्ण साधन है। उन्होंने प्रतिवेदन के कालम नंबर 16 में यह भी अंकित किया है विक्रय से आवेदक आदिवासी के हितों पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। प्रकरण में संलग्न वर्ष 1990–91 बंदोवस्त री नंबरिग सूची अनुसार वादग्रस्त भूमि इसके पूर्व से ही आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आई है एंव खसरा पंचशाला में विक्रय से प्रतिबंधित अथवा अहस्तांतरणीय भी अंकित नहीं है। विचार योग्य है कि क्या आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकती है ? आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0 – 8 में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :–

2. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)–धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
3. विधि का निर्वचन – का सिद्धांत – नवीन उपबंध का

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 921–एक/2016 निगरानी जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.

2. विधि का निर्वचन – का सिद्धांत – नवीन उपबंध का अंतःस्थापन – भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।''
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा – 165 (7–ख) – पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष का समय हो चुका – पटटाग्रहीता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त – ऐसा भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार हेतु स्वतंत्र है।

जबकि वादग्रस्त भूमि आवेदक के पटटे की भूमि नहीं है एंव उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। अतः स्पष्ट है कि आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व के वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है, परन्तु कलेक्टर जबलपुर ने वास्तविक स्थिति के विपरीत अर्थ निकालकर प्रकरण कमांक 118/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 से आवेदक के विकयअनुमति आवेदन को निरस्त करने में भूल की है परिणामस्वरूप उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 29–2–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वकार की जाकर आवेदक को ग्राम जमुनिया में भूमि सर्वे कमांक 15/1 (नया नम्बर 15/4) रकबा 0.400 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 41 (नया नंबर 41/2) रकबा 0.440 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.840 हैक्टर के विकय करने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है कि :–

1. यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो।
2. विकय पत्र प्रस्तुत करने पर विकय धन विकेता व्दारा अपीलांट्स के नाम पंजीयन दिनांक को अदा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक वाद–विचारित भूमि का विकय पत्र पंजीयत करेंगे।
3. भूखण्ड के विकय पत्र का निष्पादन इस आदेश से तीन माह की समयावधि में करना अनिवार्य होगा।

सदस्य